न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 07 / 2019

1 छगनसिंह पुत्र लादुसिंह।
2 श्रवण सिंह पुत्र लादुसिंह।
3 लक्ष्मी कंवर पत्नी रतनसिंह।
4 प्रहलाद सिंह पुत्र प्रभुसिंह समस्त जाति राजपूत निवासीगण पोषाणा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।

अपीलांट

बनाम

1 नेमीचन्द पुत्र पदमाराम जाति जाट निवासी पोषाणा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।
2 एस.बी.बी.जे. ए.डी.बी. शाखा उदयपुरवाटी जरिये शाखा प्रबन्धक।
3 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।

रेस्पोडेंट

अपील विरूद्व निर्णय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम मुकदमा नम्बर 294 / 2014 नया 46 / 2017 तारीख निर्णय 08.01.2019

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनू)

उपस्थिति :

1. श्री राजेन्द्र सिंह निर्वाण, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री सुरेश कुमार शर्मा, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

—निर्णय—

दिनांकः— 10.03.2021

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी द्वारा मुकदमा संख्या 294/2014 एवं46/2017 मे पारित निर्णय दिनांक 08.01.2019 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी ने जरिये वकील प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का इस आशय का प्रस्तुत किया है कि ग्राम पोसाना की सरहद में प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 420 अवस्थित है। प्रार्थी उक्त वर्णित भूमि में रहवासी मकान बनाकर आबाद है। प्रार्थी को उक्त वर्णित खातेदारी भूमि में आवागमन हेतु काफी असुविधा हो रही है। प्रार्थना पत्र के संलग्न नजरी नक्शा में दर्शित मार्क ए से बी कटानशुदा रास्ता है प्रार्थी अपनी भूमि खसरा नम्बर 420 से 417 के पश्चिम दिशा की सींव नींव होते हुए ए से बी मुख्य सड़क से आवागमन करता था लेकिन अप्रार्थीगण ने उक्त रास्ता तारबन्दी कर अवरूद्व कर दिया है। प्रार्थी उक्त रास्ते में समायोजित होने वाली भूमि के बदल अपनी खातेदारी भूमि में से अप्रार्थीगण को भूमि देने के लिए भी तैयार है, परन्तु अप्रार्थीगण रास्ता देने पर सहमत नहीं है। प्रार्थी के आवागमन हेतु नक्शा ट्रेस में दर्शित प्रस्तावित सी से डी सबसे लघुतम रास्ता है जो कि पूर्व से प्रार्थी आवागमन करता आ रहा था। इस रास्ते के अलावा प्रार्थी की खातेदारी भूमि में आवागमन हेतु अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। अंत में निवेदन किया है कि प्रार्थी को ग्राम पोसाना की सरहद में अपनी भूमि खसरा नम्बर 420 में आवागमन हेतु नक्शे में सुर्ख लाल रंग से दर्शित खसरा नम्बर 419 की पश्चिमी दिशा में सींव के सहारे सहारे सी से डी 10 फीट चौड़ा रास्ता

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

दिलवाये जाने का आदेश फरमाया जावे। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से प्रार्थना पत्र स्वीकार किया है। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय ने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शे पर गौर नहीं किया क्योंकि गत 50 वर्षो से रेस्पोडेंट संख्या 1 नेमीचन्द मातहत अदालत में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत नक्शे के अनुसार अपने खेत में से अल्टरनेटिव रास्ता था तथा गत 50 वर्षो से नजरी नक्शे में अपीलांट इसी अल्टरनेटिव रास्ते से जाता था तो कानूनन अल्टरनेटिव रास्ता होने के कारण धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रार्थना पत्र नहीं चल सकता है। प्रार्थी ने न्यायालय के सामने गलत तथ्य व नजरी नक्शा पेश कर गलत प्रार्थना पत्र पेश किया है। क्योकि प्रार्थी के खेत में वर्षो से ही पुराना रास्ता खसरा नम्बर 421 व 419/412 के खेतों में से होकर गुजरता है तथा उसी से प्रार्थी आवागमन करता आ रहा है। उक्त खसरा नम्बर के खातेदारान को प्रार्थना पत्र में पक्षकार नहीं बनाया गया है तथा प्रार्थी के पास वैकल्पिक रास्ता मौजूद है। दिनांक 11.12.2014 को तहसीलदार उदयपुरवाटी ने जो रिपोर्ट दी थी उसके बाद उसका ऐतराज होने के कारण इस मामले में पुनः नायब तहसीलदार गुढ़ा से रिपोर्ट तलबी की गई जिससे साबित है कि रेस्पोडेंट संख्या 1 को जाने के लिए अल्टरनेटिव रास्ता मौजूद है इस तथ्य पर गौर न कर योग्य अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलांट श्रवणसिंह, छगनसिंह व मृतक भोपाल सिंह के खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 962/419 व 419 की दक्षिणी सीमा के सहारे 3 मीटर चौड़ा किया जाने का आदेश किया है। रेस्पोडेंट संख्या 1 स्वयं मानता है कि उसकी भूमि खसरा नम्बर 420 रकबा 4.66 हैक्टेयर में सिचांई, बुआई, ट्रेक्टर मशीन, आने जाने व अन्य उत्सवों की आवश्यकता के लिए काफी वर्षो से कच्चा रास्ता मौजूद है तथा उसके बावजूद भी योग्य अधिनस्थ न्यायालय ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 (क) का स्वीकार करने में कानूनी भूल की है अपीलांट लक्ष्मीकंवर व प्रहलाद सिंह ने भी अपने जवाब में लिखा है कि रेस्पोडेंट संख्या 1 की भूमि में आवागमन हेतु भूमि खसरा नम्बर

962 व 421 मे से होकर वैकल्पिक रास्ता मौजूद है खसरा नम्बर 412 के अन्य खातेदारे को पक्षकार नहीं बनाया है। अत अपील अपीलांट स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में अपीलांट को साक्ष्य सुनवाई का पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया है। विचारण न्यायालय द्वारा दो बार मौका रिपोर्ट प्राप्त की गई है बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से विधि सम्मत रूप से प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया है। इसमें कोई विधिक त्रुटि नही हैं अपील सारहीन है खारिज की जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन किया। प्रस्तुत प्रकरण में विचारण न्यायालय द्वारा दो बार मौका रिपोर्ट प्राप्त की गई दोनो ही बार अपीलांट द्वारा अपने जवाब प्रार्थना पत्र में उल्लेखित खसरा नम्बर 421 के सन्दर्भ में एवं निकटतम व वैकल्पिक रास्ते का कोई अंकन नही किया है। विचारण न्यायालय की पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात से स्पष्ट है कि अपीलांट के नजरी नक्शे एवं मौका रिपोर्ट में अंकित तथ्यों में भिन्नता है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नही माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि अपीलांट की उपस्थिति में पुन मौका रिपोर्ट तैयार करवाकर उभयपक्ष को सुनकर प्रकरण में गुणावगुण पर विधि सम्मत निर्णय पारित करे। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 31.03.2021 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 10.03.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)